



बाह्य परिपत्र सं. 15/ डॉस -04/ 2023 EC No.15/ DoS -04/ 2023 संदर्भ. सं.एनबी.डॉस प्र.का/ओएसएस/5703/ जे-1 / 2022-23 Ref.No.NB.DoS.HO/OSS/5703/J-1/2022-23 02 फ़रवरी 2023 02 February 2023

अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक The Chairman All Regional Rural Banks

महोदया/प्रिय महोदय Madam/Dear Sir

स्थलेतर) ऑफसाइट (अनुप्रवर्तन प्रणाली (ओ एस एस" - (ओएसआर - सीआरएआर पर विवरण "विवरणी को प्रस्तुत करने की तिथियों में संशोधन

<u>Offsite Surveillance System (OSS) – Revision of Due Dates for Submission of "OSR-7" - Statement on CRAR" Return</u>

हम आपका ध्यान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 28 दिसंबर 2007 के परिपत्र संख्या आरपीसीडी.सीओ. बीसी. आरआरबी. संख्या. 44/05. 03.095/2007-08 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2008 को अपने तुलन-पत्रों में सीआरएआर के स्तर का प्रकटन करें और उसके बाद प्रति वर्ष अपने तुलन-पत्रों के लिए 'लेखों पर नोट्स' के रूप में प्रकटन करें. सीआरएआर ढांचे को शुरू करने के पीछे मूल उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सुदृढता और स्थिरता को मजबूत करना था. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे निर्धारित प्रारूप में पूंजी निधियों और जोखिम आस्ति अनुपात को इंगित करते हुए भारतीय

We invite a reference to RBI Circular No.RPCD.CO.RRB.No.BC.44/05.03.095 / 2007-08 dated 28 December 2007 addressed to Chairmen of all RRBs wherein RRBs were advised to disclose the level of CRAR as on 31 March 2008 in their Balance Sheets and thereafter every year as 'Notes on Accounts' to their Balance Sheets. The fundamental objective behind introducing CRAR framework was to strengthen the soundness and stability of the RRBs. RRBs were also advised to furnish an annual return to RBI Regional Office / NABARD Regional Office, indicating capital funds and risk assets ratio, in the

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 6812 0039• Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org



रिजर्व बैंक और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें और यह विवरणी उन दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए जो भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले सांविधिक विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं.

- 2. इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिनांक 26 नवंबर 2013 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरपीसीडी. सीओ. आरआरबी. बीसी. सं. 60/03.05.3 3/2013-14 माध्यम से सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2014 से निरंतर आधार पर 9% का न्यूनतम सीआरएआर हासिल करें और इसे बनाए रखें.
- 3. भारतीय रिजर्व बैंक ने इंगित किया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भागीदारी तय करने हेतु उनके लिए आवश्यक सीआरएआर की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाएगी और तदनुसार नाबार्ड को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर की स्थिति तिमाही आधार पर प्रदान करने हेतु सूचित किया गया है.
- 4. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार, "ओएसआर-7 सीआरएआर पर विवरण" की आविधकता को "तिमाही" में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने की प्रभावशीलता में सुधार करने में सक्षम होगा. इस तरह की पहली विवरणी 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु तैयार की जाए और इसे अधिकतम 15 फरवरी 2023 तक प्रस्तुत करें और उसके बाद

prescribed format and the return should be signed by two officials who are authorised to sign the statutory returns submitted to the Reserve Bank of India.

- 2. Further, RRBs were advised vide Circular No, RPCD.CO.RRB.BC.No.60 /03.05.33 /2013-14 dated 26 November 2013 to achieve and maintain a minimum CRAR of 9% on an ongoing basis with effect from March 31, 2014.
- 3. RBI has indicated that the CRAR requirement of RRBs will be reviewed henceforth on an ongoing basis for deciding their participation in Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF) and accordingly NABARD has been advised to provide the CRAR position of RRBs on a quarterly basis.
- 4. In accordance with RBI instructions, it has been decided to revise the periodicity of the return "OSR-7 Statement on CRAR" to "Quarterly" which would, inter alia, enable to improve the efficacy of analysing the performance of RRBs in a systematic and timely manner. The first of such return is published for the quarter ending 31 December 2022, which may be submitted latest by 15 February 2023 and thereafter as per the periodicity and timelines prescribed as under:



आवधिकता और समय-सीमा के अनुरूप निम्नानुसार प्रस्तुत करें:

तिमाही	समाप्त होने वाली अवधि	नियत तिथि
जून	30 जून	31 जुलाई
सितंबर	30 सितंबर	31 अक्तूबर
दिसंबर	31 दिसंबर	31 जनवरी
मार्च (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च	१५ अप्रैल
मार्च (लेखापरीक्षित)	31 मार्च	31 मई

5. पर्यविक्षित संस्थाएँ विवरणी प्रस्तुत करने हेतु आविधकता और समय-सीमा में किए गए संशोधन का अध्ययन करें अपने आंतरिक एमआईएस में उपयुक्त बदलाव/सुधार करें तािक विवरणी निर्धारित नियत तिथियों के भीतर प्रस्तुत की जा सके.

6. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाबार्ड द्वारा ओएसएस/एफएमएस विवरणियां निर्धारित की जाती हैं और इसलिए यह प्रकृति में सांविधिक हैं. अत: सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इन विवरणियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बिना किसी चूक के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. विवरणियाँ जमा न करने या इन विवरणियों में गलत रिपोर्टिंग करने पर अधिनियम में यथानिर्दिष्ट विनियामकीय कार्रवाई की जा सकती है.

Quarter	Period	Due
	ending	Date
June	30 June	31 July
September	30	31
	September	October
December	31	31
	December	January
March	31 March	15 April
(Unaudited)		
March	31 March	31 May
(Audited)		

5. The SE may study the revision in periodicity and timelines for submission of the return and make suitable changes/improvements in its internal MIS so that the return can be submitted within the prescribed due dates.

6. The OSS / FMS returns are prescribed by NABARD in exercise of the powers conferred under Section 27(3) of Banking Regulation Act, 1949 and are hence statutory in nature. All banks are, therefore, advised to ensure submission of these returns as per the schedule prescribed without fail. Nonsubmission of returns or wrong reporting in these returns attracts regulatory action as specified in the Act.



 7. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें.
 7. Please acknowledge the receipt of this circular to our Regional Office concerned.

 भवदीय
 Yours faithfully

 ह/ Sd/

 (डी के गवली)
 (D K Gawali)

 महाप्रबंधक
 General Manager